रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 2004/चैत्र 2, 1926
No. 143] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 2004/CHAITRA 2, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2004

सा.का.नि. 203(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2004 की एम.जे.सी. सं. 75 में तारीख 16 मार्च, 2004 के अपने आदेश में केन्द्रीय सरकार को यह निदेश दिया है कि गन्ना परिवहन रिबेट की बाबत अधिसूचनाएं जारी की जाएं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्या सा.का.नि. 44(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 14 जनवरी, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, प्रारम्भिक पैरा में, ''उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा'' शब्दों, अंक और अक्षर के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किए जाएगा, अर्थात् :—

> ''परन्तु उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार और हरियाणा राज्यों में ऐसे किसी क्रय केन्द्र पर जो रेल या सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, क्रय के लिए परिदत्त गन्ने के लिए 29 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर से परिवहन रिबेट का संदाय अधिकतम 5.83 रुपए प्रति क्विंटल के अधीन रहते हुए किया जाएगा;
>
> परन्तु यह और कि कानूनी न्यूनतम कीमत में से पूर्वोक्त परिवहन रिबेट केवल उन चीनी मिलों को ही अनुज्ञात की जाएगी जो समय पर गन्ने की कीमत का संदाय करते हैं और गन्ने के शोध्य संदाय के सभी बकायों का गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के अनुसार शोध्य ब्याज के साथ भुगतान कर देते हैं।''

[फा. सं. 3(4)/2002-एसपी]

संजय कौल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 44(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 14 जनवरी, 2004 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् आदेश संख्या सा.का.नि. 112(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 12 फरवरी, 2004 द्वारा उसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 2004

G.S.R. 203(E)/Ess. Com./Sugarcane.—Whereas the Hon'ble High Court of Judicature at Patna in its Order dated the 16th March, 2004 in M.J.C. No. 75 of 2004 directed the Central Government to ensure issuance of notifications with respect to sugarcane transport rebate :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 made under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend Order Number G.S.R. 44(E)/Ess.Com./Sugarcane dated the 14th January, 2004 (hereinafter referred to as the said Order), namely :—

In the said Order, in the opening paragraph, after the words, figure and letter "subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order", the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided that in the States of Uttar Pradesh, Uttaranchal, Bihar and Haryana for sugarcane delivered for purchase at any purchasing centre connected by rail or road, payment of transport rebate at the rate of 29 paise per quintal per kilometre shall be made subject to a maximum of Rs. 5.83 per quintal;

Provided further that the aforesaid transport rebate from Statutory Minimum Price shall be allowed only to those sugar mills which make cane price payment timely and clear all arrears of cane payment dues, together with due interest as per clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966".

[F. No. 3(4)/2002-SP]

SANJAY KAUL, Jt. Secy.

Footnote :—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Order number G.S.R. 44(E)/ Ess.Com./Sugarcane dated the 14th January, 2004 and was subsequently amended *vide* Order number G.S.R. 112(E)/ Ess.Com./Sugarcane dated the 12th February, 2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.